न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस.

क्रमांक रीडर/2024/ 10041 दिनांक – 22.12.25

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 गोधूराम पुत्र वेहनाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सखरोडा, चौखला तहसील बाटाडू जिला बाडमेर।		1 मोडाराम पुत्र विशनाराम 2 खूमाराम पुत्र वेहनाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) 3 खुमाराम 4 नारणाराम 5 बाबुराम 6 भैराराम पिसरान नाथाराम 7 वीरो पत्नि नाथाराम 8 पुरखाराम पुत्र गोमदाराम जाति जाट निवासी सखरोडा चौखला 9 रूगनाथराम पुत्र कानाराम 10 रायमल राम 11 लाखाराम पिसरान गिरधारी राम 12 मूलाराम पुत्र गेनाराम जाति जाट निवासी भीमडा तहसील बाटाडू जिला बाडमेर 13 तहसीलदार बाटाडू।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत

राजस्व आवेदन संख्या :–83/2025 दिनांक– 26/11/2025

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा सखरोडा पटवार क्षेत्र चौखला तहसील बाटाडू जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 52 रकबा 0.1780 हैक्टेयर खसरा संख्या 53 रकबा 7.4671 हैक्टेयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाटाडू को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)
उपखण्ड अधिकारी,
बाडमेर
उप खण्ड अधिकारी
बाडमेर

क्रमांक :– रीडर/2025/ 10042-45 दिनांक– 22.12.25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. तहसीलदार बाटाडू पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी चौखला तहसील बाटाडू को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी गोधूराम पुत्र वेहनाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सखरोडा, चौखला तहसील बाटाडू जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थीगण मोडाराम पुत्र विशनाराम वगैरह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सखरोडा, चौखला तहसील बाटाडू जिला बाडमेर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Yasharth Shekhar
Date: 2026.01.23 14:35:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
उप खण्ड अधिकारी